

20.12.2024:-पत्रावली आज पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने अपना मूल वादपत्र डिक्री करवा लिया है। मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. में जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.05.2024 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एव उपविभागीय अधिकारी
हनुमानगढ़

